कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 106/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न **कार्यवाहियां की गयी।**

प्रेस नोट
थाना- ए0एच0टी0 जनपद आजमगढ़ |
ऑपरेशन मुस्कान के तहत 02 वर्ष से अधिक समय से लापता किशोरी को किया गया सकुशल बरामद

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे **ऑपरेशन मुस्कान** एवं विवेचना निस्तारण अभियान के क्रम में अपहृता/गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

सन् 2023 में थाना दीदारगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 270/23 धारा 363/366/120B भादवि से संबंधित ग्राम मार्टिनगंज निवासी अपहृता किशोरी को रोडवेज बस स्टेशन, आजमगढ़ से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 23.10.2023 को वादी मुकदमा निवासी मार्टिनगंज, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को उसके विद्यालय के अध्यापक ज्ञानचन्द्र यादव द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। इस कार्य में प्रधानाचार्या सुमन एवं उनके पति प्रबंधक त्रिभुवन की संलिप्तता भी बताई गई।

उक्त प्रकरण में थाना दीदारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी, किन्तु पीड़िता की बरामदगी नहीं हो सकी। तत्पश्चात दिनांक 08.04.2025 को विवेचना थाना ए0एच0टी0, जनपद आजमगढ़ को स्थानांतरित की गई।

बरामदगी का विवरण:

विवेचना के दौरान संदिग्ध की लोकेशन पूर्व में दिल्ली एवं लखनऊ (रामजानकी नगर) प्राप्त हुई। दिनांक 17.03.2026 को सर्विलांस सेल के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन रोडवेज बस स्टेशन, आजमगढ़ प्राप्त हुई।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची और पीड़िता को आरोपी ज्ञानचन्द्र यादव के साथ बरामद किया गया। तत्पश्चात नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय है कि आरोपी ज्ञानचन्द्र यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से गिरफ्तारी पर पूर्व में स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त किया गया है।

बरामदगी का स्थान:

रोडवेज बस स्टेशन, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 270/23 धारा 363/366/120B भादवि, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

बरामद करने वाली पुलिस टीम:

- प्रभारी निरीक्षक अभयराज मिश्रा
- उ0नि0 जितेन्द्र बहादुर सिंह
- का0 आलोक कुमार मिश्र
- म0आ0 शबाना बानो (थाना ए0एच0टी0, आजमगढ़)
- का0 आलोक कुमार (सर्विलांस टीम)

प्रेस नोट

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:

वादी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन, उम्र लगभग 23 वर्ष, दिनांक 27.02.2026 को रात्रि लगभग 03:00 बजे घर से किसी के साथ चली गई, जिनका काफी तलाश किया गया, किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

इस संबंध में दिनांक 28.02.2026 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 82/26 धारा 87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:

उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह (चौकी प्रभारी बलरामपुर) एवं का0 सुमित कुमार थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त हिमांशु भारती पुत्र बलिराम को दिनांक 18.03.2026 को समय लगभग 12:10 बजे हाफिजपुर चौराहे से आहोपट्टी मार्ग के मध्य पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:

1-हिमांशु भारती पुत्र बलिराम, निवासी बड़ी रस्तीपुर, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ, हाल पता बद्दोपुर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:

1-मु0अ0सं0 82/26 धारा 87/64(1) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

- उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह, चौकी प्रभारी बलरामपुर
- का0 सुमित कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना- मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:

वादी मुकदमा द्वारा थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त फूलेन्दर राम द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थानों (AIIMS, रेलवे एवं अन्य विभागों) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर विश्वास में लिया गया तथा कई किश्तों में लगभग ₹12,00,000/- रुपये प्राप्त कर लिए गए।

नौकरी न दिलाने पर पैसा वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा पैसा वापस न कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0 116/2025 धारा 316(2), 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 336(3)/338 बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष मनीष पाल के नेतृत्व में दिनांक 18.03.2026 को पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

चौकी प्रभारी लालगंज उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियुक्त फूलेन्दर राम पुत्र विरतू निवासी ग्राम बेरेहता थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को उसके गांव के बाहर पक्की सड़क पर समय करीब 11:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 116/2025 धारा 316(2), 351(3) बी.एन.एस. एवं बढ़ोत्तरी धारा 336(3)/338 बी.एन.एस., थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:

फूलेन्दर राम पुत्र विरतू, निवासी ग्राम बेरेहता, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 51 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुभाष तिवारी, चौकी प्रभारी लालगंज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़
2. का0 कमलेश सरोज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

दहेज हत्या में सम्मिलित अभियुक्त गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.12.2025 को वादिनी बबिता पत्नी विजेन्द्र, निवासी ग्राम लखमापुर पोस्ट मानीकलाँ थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री करिश्मा (उम्र 23 वर्ष) की शादी दिनांक 18.05.2025 को दिलीप कुमार पुत्र बहादुर निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के साथ परम्परागत रीति से हुई थी। शादी के बाद से ही पति दिलीप कुमार, ननद प्रीती व बीमा तथा देवर मनदीप व संदीप द्वारा दहेज में अपाचे मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था तथा मारपीट एवं जलाने का प्रयास किया जाता था। दिनांक 16.12.2025 को उपरोक्त ससुराल पक्ष द्वारा करिश्मा की हत्या कर दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 480/25 धारा 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 18.03.2026 को उ0नि0 बासदेव साहनी मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में देखभाल एवं प्रार्थना पत्रों की जांच में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र बहादुर नोनारी बाजार में किसी वाहन का इंतजार कर रहा है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम नोनारी बाजार पहुँची, जहां अभियुक्त संदीप को पहचान कर घेराबंदी कर समय करीब 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संदीप पुत्र बहादुर निवासी ग्राम कौरागहनी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 480/2025 धारा 80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बासदेव साहनी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. का0 शशिकांत तिवारी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने वाला 03 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

वादी श्री शिवम यादव पुत्र रामकेश यादव, निवासी ग्राम सिकन्धोपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 11.03.2026 को समय करीब 22:00 बजे प्रतिवादीगण द्वारा डी0जे0 पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि अभियुक्तों ने वादी को घर जाते समय अपने घर के सामने रोड पर रोककर गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए वादी के पिता श्री रामकेश यादव पर भी जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से सिर पर प्रहार किया गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 54/26 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 18.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 शिवम मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. प्रदीप यादव पुत्र रामनगीना यादव 02. दीपक यादव पुत्र रामनगीना यादव 03. आशीष यादव पुत्र रामनगीना यादव निवासीगण ग्राम सिकन्धोपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 54/26 धारा 109/115(2)/352/351(3) बी.एन.एस., थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. प्रदीप यादव पुत्र रामनगीना यादव, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम सिकन्धोपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
02. दीपक यादव पुत्र रामनगीना यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम सिकन्धोपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
03. आशीष यादव पुत्र रामनगीना यादव, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सिकन्धोपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:-

01. आला जुर्म से संबंधित 02 अदद लाठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 शिवम मिश्रा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
02. का0 प्रभाष्कर यादव, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
03. का0 अमरेश पासवान, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
04. म0का0 प्रथमा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना रौनापार</u>

<u>साइबर फ्रॉड का ₹9988/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया</u>

घटना का विवरण:-

आवेदक श्री मो० अमान पुत्र वसीउल्लाह, निवासी सोनबुजुर्ग, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के साथ ₹25,000/- की साइबर धोखाधड़ी की घटना घटित हुई। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 11.12.2025 को हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई।

बरामदगी का विवरण:-

आवेदक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रौनापार पर उक्त शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज होने के उपरांत साइबर टीम, आजमगढ़ द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक के ₹25,000/- में से ₹ 9,988/- रुपये को फ्रॉडस्टर के YES बैंक खाते में होल्ड कराया गया। इसके उपरांत

विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय न्यायालय से धनराशि रिलीज कराने हेतु आदेश प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर ₹9,988/- रुपये सफलतापूर्वक आवेदक के खाते में वापस करा दिए गए।

साइबर फ्राड के पैसे वापस कराने वाली पुलिस टीम-

साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 18.03.2026

थाना सरायमीर-जनपद आजमगढ़

चोरी की घटनाएं कारित करने वाले महिलाओं के गिरोह की 03 सदस्य गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 18.02.2026 को जकिया पत्नी सैफ निवासी ग्राम खुटहना थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि वादिनी मुकदमा सरायमीर बाजार से आ रही थी कि उसके साथ आटो में बैठी 05 महिलाओ द्वारा वादिनी के गले की चैन चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 45/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम नाम पता अज्ञात 05 महिलाओं के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

आज दिनांक 18.03.2026 को उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आयी महिलायें 1.सीमा पत्नी राजन निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2.बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी गदेरी पट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3.पिंकी उर्फ चिरई पत्नी विशाल उर्फ अनिल निवासी अमदही थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 18.03.2026 को उ0नि0 पंकज यादव व महिला आरक्षी संजू सिंह व मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आयी 03 महिलाओं 1- सीमा पत्नी राजन निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ, 2-बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी गदेरी पट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ व 3-पिंकी उर्फ चिरयी पत्नी विशाल उर्फ अनिल निवासी निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को पवईलाडपुर से समय करीब 09.50 AM बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से कुल 2030 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार महिलाओं का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि वे लोग भीखमांगने के बहाने से निकलती है तथा अपना चेहरा ढककर आटो या ई रिक्शा मे महिलाओं के पास बैठकर सोना चाँदी के आभूषम पर्स मे रखा पैसा व सामान निकाल कर भीड़ भाड़ वाली जगह पर उतर कर भाग जाते।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1.सीमा पत्नी राजन निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2.बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी गदेरी पट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
3.पिंकी उर्फ चिरई पत्नी विशाल उर्फ अनिल निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरादमगी– 2030/- रूपये

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 45/26 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1- सीमा पत्नी राजन निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 200/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना देवगांव आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 149/23 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

2- बानी देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी गदेरी पट्टी चुनावा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 229/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 736/23 धारा 419 भा0द0वि0 व 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पंकज यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 रजनीश सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 मिथिलेश कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. म0आ0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.03.2026 जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में **20 वर्ष के कठोर कारावास व 27000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

थाना रौनापार पर पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.09.2018 को वादी मुकदमा ने तहरीर दिया था कि अभियुक्त **एहसान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बगई चाँदपट्टी, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़** द्वारा वादी की नाबालिग (08 वर्षीय) पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-193/2018 धारा- 376AB भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक-18.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **एहसान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बगई चाँदपट्टी, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक-18.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चेकिंग करने वाली पुलिस टीम पर जान लेवा हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए **जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली पर पंजीकृत अपराध जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करने आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 14.10.2017 को वादी मुकदमा निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध शस्त्र से फायर करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-464/2017 धारा- 307 भादवि तथा मु0अ0सं0 465/2017 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 18.03.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-1/AC(Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने 09 अपराधियों के विरूद्ध खोली हिस्ट्रीशीट

आज दिनांक – 18.03.2026 को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार* द्वारा थाना प्रभारी सिधारी, अहरौला, मुबारकपुर, जीयनपुर के आख्या के आधार पर 05 अपराधियों के आपराधिक क्रिया- कलापों पर सतत निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट खोली गयी। जिसमें गैंगेस्टर, डकैती, लूट, रंगादारी, धोखाधडी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अपराधी सम्मिलित है। जिसके विवरण निम्नवत है-

1. ***अभियुक्त हरिवंश गोपाल पुत्र श्रीराम निवासी भदुली थाना सिधारी, जनपद- आजमगढ़ (गोवध)-*** के विरूद्ध कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त हरिवंश गोपाल डकैती, लूट, जालसाजी, चोरी, व अवैध शस्त्र रखना जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्त उपरोक्त आपराधिक कृत्यों से आम जनता काफी भयभीत है तथा एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों की जन भावनाएं काफी आहत हो रही है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल सम्भावना है।
2. ***अभियुक्त राजन पुत्र राजू गौतम निवासी वार्ड नं0- 03 एल्लाहगढ़ नगर पंचायत कस्बा माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़*** ने मारपीट, चोरी व अवैध तमन्चा रखने जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त राजन के विरुद्ध कुल 09 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त आपराधिक कृत्यों से आम जनता काफी भयभीत है तथा एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों की जन भावनाएं काफी आहत हो रही है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल सम्भावना है।
3. ***अभियुक्त शेरु यादव उर्फ भोलू यादव पुत्र स्व0 मिट्ठु यादव उर्फ दाताराम निवासी ग्राम कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़*-** ने लूट-पाट रंगदारी मागने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। अभियुक्त शेरू के विरुद्ध कुल 06 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त आपराधिक कृत्यों से आम जनता काफी भयभीत है तथा एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों की जन भावनाएं काफी आहत हो रही है। साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की प्रबल सम्भावना है।
4. ***बृजेश उर्फ मलिक पुत्र निरंकार निवासी ग्राम गजहडा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*** के विरूद्ध कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त बृजेश द्वारा चोरी व नकबजनी आदि जघन्य अपराध कारित किया है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा आम जनता में इसकी आम शोहरत अच्छी नही है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।
5. ***अभियुक्त राज उर्फ सवरियां पुत्र सुरेश राम निवासी ग्राम गडेरी पट्टी थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ (हत्या)*** के विरूद्ध 06 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त राज उर्फ सवरियां द्वारा चोरी व चैन स्नैचिंग जैसे अपराध कारित किया है। अभियुक्त एक अपराधी एवं शातिर किस्म का व्यक्ति है तथा अपराधी के रूप में उभरकर अपराध करने में लिप्त है।